# <u>न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> <u>जिला बैतूल</u>

<u>दांडिक प्रकरण कः - 170 / 15</u> संस्थापन दिनांकः - 30 / 03 / 15 फाईलिंग नं. 233504002292015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला, जिला–बैतूल (म.प्र.)

..... अभियोजन

#### वि रू द्व

कामजी पिता झिग्गू, उम्र 45 वर्ष, निवासी बर्राढाना तोरणवाड़ा, थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....अभियुक्त

#### <u>-: ( नि र्ण य ) :-</u>

## (आज दिनांक 07.03.2017 को घोषित)

- 1 प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध आयुध अधिनियम, 1959 की धारा—25 (1—बी) (बी) के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 16. 03.2015 को समय 11:30 बजे या उसके लगभग मेन रोड बर्राढाना तोरणवाड़ा थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार छुरी जिसकी कुल लंबाई 33 सेमी. चौड़ाई 4½ इंच, को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया।
- 2 अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 16.03. 2015 को प्रधान आरक्षक बिसनसिंह को जिरये टेलीफोन से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति अवैध रूप से हाथ में धारदार लोहे की छुरी लेकर पड़ोस की मिहला जिससे झगड़ा हुआ है उसको मारने की बोल रहा है। सूचना पर वह हमराह स्टाफ के बर्राढाना तोरणवाड़ा गया जहां उसे अभियुक्त हाथ में लोहे की धारदार छुरी लेकर रंगे हाथ मिला। अभियुक्त द्वारा छुरी रखने के संबंध में कागजात न होना बताये जाने पर उसने अभियुक्त से एक धारदार छुरी जप्त कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। तत्पश्चात थाने आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 142/15 अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना पूर्ण

होने पर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका कं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

## 4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

"क्या अभियुक्त ने दिनांक 16.03.2015 को समय 11:30 बजे या उसके लगभग मेन रोड बर्राढाना तोरणवाड़ा थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार छुरी जिसकी कुल लंबाई 33 सेमी. चौड़ाई 4½ इंच, को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22. 11.74 का उल्लंघन किया ?"

#### ।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

5 बिसनसिंह (अ.सा.—3) ने यह प्रकट किया है कि दिनांक 16.03. 2015 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए उसे जरिये टेलीफोन से सूचना प्राप्त होने पर वह हमराह स्टाफ के बर्राढाना तोरणवाड़ा पहुंचा जहां अभियुक्त हाथ में लोहे की धारदार छुरी लेकर आने जाने वालों को डराते धमकाते मिला जिसे रंगे हाथ पकड़कर अभियुक्त से गवाहों के समक्ष एक लोहे की छूरी जप्त कर (प्रदर्श प्री—1) का जप्ती पत्रक तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री—2) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया था तथा मय माल मुलजिम के थाना आकर वापसी लेख कर अभियुक्त के विरूद्ध अपराध क. 142/15 धारा 25 आयुध अधिनियम में (प्रदर्श प्री—3) का प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध किया था साक्षी ने उक्त दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित भी किया है। साक्षी ने आर्टिकल—ए को वही हथियार होना बताया है जो उसने अभियुक्त के कब्जे से जप्त किया था।

6 संगीता (अ.सा.—2) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि घटना बर्राढाना तोरणवाड़ा की दिन के 10—11 बजे की है। घटना के समय अभियुक्त शराब पीकर उसके घर के सामने आया और मिट्टी का तेल डालकर घर जलाने का बोल रहा था तथा अभियुक्त एक छुरा लेकर घूम रहा था। साक्षी नारायण (अ.सा.—1) ने अपने समक्ष अभियुक्त से पुलिस द्वारा जप्ती एवं उसकी गिरफतारी से इंकार किया है परंतु साक्षी ने जप्ती पत्रक (प्रदर्श

प्री—1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री—2) पर उसके हस्ताक्षर होना बताया है। नारायण (अ.सा.—1) एवं संगीता (अ.सा.—2) ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है जिस कारण अभियोजन द्वारा उक्त दोनों ही साक्षियों से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछने पर भी अभियोजन के पक्ष में कोई तथ्य उनके कथन से प्रकट नहीं हुए है।

- 7 प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी नारायण (अ.सा.—1) एवं संगीता (अ.सा.—4) ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। अभिलेख पर बिसनसिंह (अ.सा.—3) की साक्ष्य उपलब्ध है। न्याय दृष्टांत नाथू सिंह वि० स्टेट ऑफ एम०पी० ए.आई.आर.1973 एससी 2783 के अनुसार पंच साक्षीगण की पुष्टि के आभाव में भी जप्ती कर्ता की साक्ष्य विश्वास किये जाने योग्य हो तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। अतः उक्त साक्षी की साक्ष्य से यह देखा जाना है कि अभियुक्त से जप्ती प्रमाणित होती है या नहीं।
- बिसन सिंह (अ.सा.-3) ने न्यायालयीन परीक्षण में सूचना मिलने पर हमराह स्टाफ के साथ मौके पर जाना और वहां अभियुक्त से एक लोहे की छुरी जप्त किया जाना एवं उसे गिरफ्तार करने के उपरांत थाना वापस आकर प्रथम सचना रिपोर्ट लेख करना बताया है। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने बचाव के इस सूझाव को गलत बताया है कि मौके पर जप्ती प्रपत्र में अपराध लेख करना संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त साक्षी से औपचारिक स्वरूप के प्रश्न पूछे गये हैं। जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) के अवलोकन से यह प्रकट नहीं होता है कि अभियुक्त से कथित आयुध जप्त कर उसे मौके पर सीलबंद किया गया हो। साथ ही किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने अभियुक्त से कथित आयुध अपने समक्ष जप्त किये जाने का समर्थन भी नहीं किया है। जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) में जप्ती का समय 11:30 बजे लेख है तथा गिरफतारी का समय 11:35 बजे लेख है। मात्र 5 मिनट में जप्ती एवं गिरफ़तारी की कार्यवाही की जाना अस्वाभाविक है। साथ ही जप्ती एवं गिरफतारी प्रपत्र में अपराध कमांक पहले से लेख है जिससे इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि उक्त प्रपत्र जप्ती एवं गिरफतारी की कार्यवाही के उपरांत तैयार किये गये होंगे। कथित आयुध की मौके पर नाप की गयी हो ऐसा भी जप्ती पत्रक के अवलोकन एवं विवेचक साक्षी बिसनसिंह (अ. सा.-3) के कथनों से प्रकट नहीं हो रहा है और न ही इस संबंध में साक्षी बिसनसिंह के द्वारा कोई स्पष्टीकरण दिया गया है। उपर्युक्त परिस्थितियों में अभियुक्त से कथित आयुध की जप्ती संदेहास्पद हो जाती है जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।
- 9 उपरोक्त अनुसार की गई साक्ष्य विवेचना से यह दर्शित है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 16.03.2015 को समय 11:30 बजे या उसके लगभग मेन

रोड बर्राढाना तोरणवाड़ा थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार छुरी जिसकी कुल लंबाई 33 सेमी. चौड़ाई 4½ इंच, को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया। अतः अभियुक्त कामजी को धारा 25(1—बी)बी आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

- 10 प्रकरण में जप्त सुदा लोहे की छुरी अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।
- 11 अभियुक्त आज दिनांक को न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट के पालन में उपस्थित हुआ है और वह न्यायालय की अभिरक्षा में है। अतः अभियुक्त को रिहा किया जावे।
- 12 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित । मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.) (श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)